इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 481] भोपाल, बुधवार, दिनांक 21 नवम्बर 2012—कार्तिक 30, शक 1934

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2012

क्र. एफ-25-17-2009-दस-3.—मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्रमांक 9 सन् 1969) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) काष्ठ नियम, 1973 में, जो उक्त अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार "मध्यप्रदेश राजपत्र" भाग-1, दिनांक 8 जून 2012 को प्रकाशित किये गये थे, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त नियमों में, नियम 7 में, उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1) प्रत्येक विनिर्माता जो विनिर्दिष्ट इमारती लकड़ी का कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है तथा प्रत्येक व्यापारी और उपभोक्ता जिसका, यथास्थिति, वार्षिक उपयोग, आवश्यकता या उपभोग नीचे दी गई अनुसूची में दी गई मात्रा से अधिक हो, विनिर्दिष्ट इमारती लकड़ी के अपने स्टाक की घोषणा प्ररूप "घ" में करेगा और, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई वार्षिक रजिस्ट्रीकरण शुल्क का संदाय करने के पश्चात्, इसके पश्चात्, उपबंधित रीति में, स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करवाएगा:—

अनुसूची

वह न्यूनतम मात्रा जिसके लिए विनिर्माताओं, व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं के लिये रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है तथा विनिर्माताओं, व्यापारियों और उपभोक्ताओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए वार्षिक शुल्क :—

वह न्यूनतम मात्रा जिसके लिए यह रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है			वार्षिक रजिस्ट्रीकरण शुल्क	
व्यापारी	उपभोक्ता	विनिर्माता तथा उपभोक्ता	व्यापारी	उपभोक्ता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क) भवन निर्माण ठेकेदार के लिए 1 घन मीटर.	वास्तविक प्रयोजनों के लिए 10 घन मीटर.	रुपये 1000/-	(क) भवन निर्माण ठेकेदार के लिए रुपये 1000/-	वास्तविक उपभोक्ता रुपये 200/-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(ख) बढ़ई की दुकान, फर्नीचर बनाने वाले, जिसमें टर्नरी आर्टीजन्स सम्मिलित है, के लिए 1 घन मीटर.			(ख) बढ़ई की दुकान, फर्नीचर बनाने वाले, जिसमें टर्नरी आर्टीजन्स सम्मिलित है, के लिये रुपये 200/-	
(ग) विनिर्माता/व्यापारी के लिए, 1 घन मीटर.			(ग) केवल व्यापारी के लिये रुपये 1000/-	

टीप :—(1) आवेदन के साथ उपरोक्त दर पर वार्षिक रजिस्ट्रीकरण शुल्क का संदाय करने के पश्चात्, किसी व्यापारी/विनिर्माता/उपभोक्ता को उसके द्वारा ऐसी कालावधि के लिये शुल्क संदत्त किए जाने पर एक या दो या तीन वर्ष के लिये रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा.

(2) रजिस्ट्रीकरण की कालावधि के दौरान, यदि व्यापारी/विनिर्माता/उपभोक्ता के विरुद्ध कोई अनियमितता अथवा वन अपराध पंजीबद्ध किया जाता है तो पूर्वोक्त कालावधि के लिये उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया जाएगा तथा रजिस्ट्रीकरण शुल्क, वन मण्डल के भारसाधक अधिकारी द्वारा समुचित आदेश जारी कर, राजसात कर लिया जाएगा.

(3) यदि व्यापारी/विनिर्माता/उपभोक्ता, वनमण्डल के भारसाधक अधिकारी द्वारा पारित आदेश से संतुष्ट न हो तो, वह वन वृत्त के भारसाधक अधिकारी को एक माह की कालावधि के भीतर अपील कर सकेगा. वन वृत्त के भारसाधक अधिकारी द्वारा किया गया विनिश्चिय अंतिम होगा.''

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशांत कुमार, सचिव.

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2012

क्र. एफ. 25-17-2009-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 25-17-2009-दस-3, दिनांक 21 नवम्बर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशांत कुमार, सचिव.

Bhopal, the 21st November 2012

No. F-25-17-2009-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 21 of the Madhya Pradesh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1969 (No. 9 of 1969) The State Government hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Kashta Niyam, 1973, which was published in the "Madhya Pradesh Gazette". Part-1, dated 8th June, 2012 as required by sub-section (1) of Section 21 of said Act, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 7, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) Every manufacturer who uses any specified timber as a raw material and every trader and consumer whose annual use, requirement or consumption, as the case may be, exceeds the quantity given in the Schedule below, shall declare his stock of specified timber in Form D and get himself registered in the manner

hereinafter provided after payment of an annual registration fee specified in the Schedule below:—

SCHEDULE

Minimum quantity for which registration is necessary for Manufacturers, traders and consumers and the annual registration fee for manufacturers, traders and consumers :--

	Minimum quantity for which registration is necessary			Annual registration fee	
	Trader	Consumer	Manufacturer and Consumer	Trader	Consumer
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a)	House building contractors 1cu.m.	Bonafide purposes 10 cu.m.	Rs. 1000/-	(a) House building Contractors Rs. 1000/-	Bonafide consumer Rs. 200/-
(b)	Carpentry shops furniture makers including turnery artisans 1 cu.m.			(b) Carpentry shops furniture makers including turnery artisans Rs. 200/-	
(c)	Manufacturer/ Trader 1 cu.m.			(c) Only traders Rs. 1000/-	

Note :—(1) After paying the annual registration fees at the above rates along with the application, a Trader/ Manufacturer/Consumer shall be registered for one or two or three years, as per the fees paid by him for such a period.

(2) During the registration period if any irregularity or forest offence is registered against the Trader/Manufacturer/ Consumer, his registration shall be cancelled for the aforesaid period and registration fee shall be forfeited by the In-charge Officer of the Forest Division after issuing appropriate orders.

(3) If the Trader/Manufacturer/Consumer is not satisfied with the order issued by the In-charge Officer of the Forest Division, then he may prefer an appeal to the In-charge Officer of the Forest Circle within a period of one month. The decision taken by the In-charge Officer of the Forest Circle shall be final."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
PRASANT KUMAR, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.